जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, पीलीभीत।

जन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 16 बिन्दुओं पर सूचना

| क्0 सं0 | बिन्दु | बिन्दुवार सूचना |
|---|---|---|
| 1 | अपने संगठन की विशिष्टियॉ कृत्य और कर्तव्य | धर्मनिर्पेक्षता और प्रजातांत्रिक प्रणाली को आधार मानकर भारतीय संविधान में देश के सभी नागरिको को जहॉ समानता का अधिकार दिया गया है वही समाज के कमजोर और अन्य पिछड़े वर्गो के लोगो को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से ऊंचा उठाने हेतु संविधा की धारा 14,15,16,335,338,339,340,341 तथा 342 का प्राविधान किया गया है। इन्हीं उद्देश्यो की पूर्ति हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा अन्य विछड़े वर्गो के हितार्थ विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वर्ष 95–96 तक यह कार्यक्रम प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे थे। उ0प्र0 की लगभग 54.05 प्रतिशत (सामाजिक न्याय समिति के अनुसार) जनसंख्या पिछड़े वर्गो से सम्बधित है और इतनी बढ़ी जनसंख्या के विकास एवं कल्याण हेतु निःसंदेह ही एक स्वतन्त्र विभाग की आवश्यकता का अनुभव बहुत पहले से किया जा रहा था। अतः वर्ष 1995–96 में उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या 4056/बी–ई–95–539(2)/95, दिनॉक 12 अगस्त 1995 द्वारा पिछड़ावर्ग कल्याण विभाग की स्थापना स्वतन्त्र रूप से कर दी गयी है। |
| 2 | अपने अधिकारियो और कर्मचारियो की शक्तियां और कर्तव्य | कर्मचारी एवे अधिकारी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं और राज्य सरकार के अधीन ही शासकीय कार्य सम्पन्न करते हैं। |
| 3 | विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं। | क्रम से निम्न अधिकारी/ कर्मचारी कार्यरत हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, के पद सृजित हैं। शासन द्वारा संचालित कार्यक्रम का संचालन/ निरीक्षण /पर्यवेक्षण किया जाता है। कार्यलय विकास भवन, पीलीभीत में स्थित है। |
| 4 | अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान । | जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, नियंत्रक अधिकारी का पद है जिनके नियंत्रण में वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यरत हैं जो शासकीय कार्यो को संपन्न करते हैं। |
| 5 | अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख । | विभाग द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, के पदों पर विभागीय निर्देशो एवं शासनादेशो तथा पूर्व घोषित नियमावली के अनुसार कार्य करते हुए अभिलेख सुरक्षित रखे जाते हैं। |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण, जो उनके द्वारा धारित किये गये हैं अथवा उनके नियन्त्रण में हैं। | शासन द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षित रखे जाते है, नियमानुसार अवलोकन एवं कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है। |
| 7 | किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्ययन्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं। | जनपद स्तर पर विभाग का निर्देशन जिलाधिकारी, एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है। जिला स्तर की कमेटियो जिसमें जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित होते हैं, कार्यकम का अनुमोदन कराया जाता है। |
| 8 | बोर्ड,परिषदों,समितियो और अन्य निकायों के विवरण जिसमें 2 अथवा 2 से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रू‍ में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गयी हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डो, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत लोगों के लिए सुलभ हैं। | जिला प्रशासन की बैठक में मंशा के अनुरूप विभागीय कार्यो का संचालन किया जाता है। |
| 9 | अपने अधिकारियो और कर्मचारियो की निर्देशिका | विभाग के अधिकारी व कर्मचारी राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्यवाही सुनिश्चित करते है और राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशो का पालन करते है। |
| 10 | अपने प्रत्येक अधिकारियो और कर्मचारियो द्वारा प्राप्त मासिक परिश्रमिक, जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मलित हो । | विभागीय अधिकारीयो व कर्मचारीयो के आंकड़े महालेखाकार, इलाहाबाद, निर्देशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण , उ0प्र0, लखनऊ, वरिष्ठ कोषाधिकारी, जिला सेवायोजन अधिकारी को उपलब्ध कराये जाते हैं। |
| 11 | सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये सवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आंवटित बजट। | निर्देशालय द्वारा शादी/बीमारी अनुदान के अन्तर्गत 12. 20 लाख रू0 122 लाभार्थियो हेतु, ओ लेवल कम्प्यूटर ट्रेनिग हेतु 2.20 लाख रू0 22 लाभार्थियो हेतु तथा 1.00 लाख रू0 3 लाभार्थियो हेतु निगम द्वारा जारी किये गये हैं, जिनका चयन जुलाई 2008 में करने के पश्चात् धनराशि का व्यय किया जाएगा। |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | सहायिकी कार्यकम के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभर्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं। | शासनादेश द्वारा जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा उपरोक्त योजनाओ के लाभार्थियो का चयन किया जाता है निर्देशालय से बजट जनपद में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी (आहरण वितरण अधिकारी ) को प्राप्त होता है जिसे दिये गये निर्देशो के कम में व्यय किया जाता है |
| 13 | अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियॉ | शासन द्वारा दिये गये निर्देशो के कम में कार्यो का सम्पादन किया जाता है । |
| 14 | किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों । | विभाग द्वारा समस्त सूचनाये उच्चाधिकारियो को संकलित कर भेजी जाती हैं, आवश्यकतानुसार प्रिट मीडिया/ इलेक्ट्रोनिक मीडिया से प्रचार– प्रसार किया जाता है। |
| 15 | सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिको को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियॉ, जिसमें किसी पुस्तकालय या बाचन कक्ष, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं। | विभाग की पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति का कम्प्यूटरीकरण किया गया है जो कि `बीवसंतीपचण्नचण्दपबण्पद पर उपलब्ध है। अन्य सूचना हेतु कम संख्या 16 पर अंकित पते पर सम्पर्क किया जा सकता है। |
| 16 | जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियॉ । | श्री हरीश कुमार, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, कमरा नं0 46, द्वितीय तल, विकास भवन, पीलीभीत। |

शासनादेश सं0 556/43–2–2008–15/02(3) 2007 टी0सी0 दिनांक 06.06.08 का संलग्नक

## विभाग का नाम :– जिला पिछड़ा वर्गकल्याण विभाग पीलीभीत

| क्र0 सं0 | विभाग तथा विभाग के नियन्त्रणाधीन/अधीनस्थ कार्यालय/सार्वजनिक निगम/उपक्रम/परिषद बोर्ड/संस्था का नाम | अधिनियम की धारा(1)(बी)के अन्तर्गत तैयार कर बेबसाइट पर अपलोड किये गये मैनुअल की संख्या | अवशेष मैनुअल संख्या | अवशेष मैनुअल पूर्ण करने की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | जिला विकलांग कल्याण कार्यालय पीलीभीत | 16 | शून्य | – |

नोट :– दो सी0डी0 संलग्न हैं ।

(हरीश कुमार)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
पीलीभीत